

नगर पालिक निगम,भिलाई

बजट अनुमान वर्ष 2017–2018 एवं संशोधित वर्ष 2016–2017

(राशि रु. लाख में)

क्रं.	आय	व्यय	प्रारंभिक सीलक (बचत)	बचत / घाटा
1. आयुक्त द्वारा संशोधित प्रस्ताव वर्ष 2016–17	25754.40	27267.97	(+) 8850.25	(+)7336.68
2. महापौर परिषद द्वारा संशोधित प्रस्ताव वर्ष 2016–17	25754.40	27267.97	(+) 8850.25	(+)7336.68
3. आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अनुमानित वर्ष 2017–18	39603.69	43652.55	(+) 7336.68	(+)3287.82
4. महापौर परिषद द्वारा प्रस्तुत अनुमानित वर्ष 2017–18	38741.69	48472.55	(+) 7336.68	(-)2394.18
5. सामान्य सभा द्वारा अनुशंसित वर्ष 2017–18	31480.34	38696.80	(+) 7336.68	(+)120.22

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

नगर पालिक निगम,भिलाई

विषय :- अनुमानित बजट वर्ष 2017-2018 एवं संशोधित बजट वर्ष 2016-17

आयुक्त का प्रतिवेदन

संशोधित बजट वर्ष 2016-2017

नगर पालिक निगम,भिलाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये निम्नानुसार अनुमानित बजट पारित किया गया था :-

शीर्ष	बजट अनुमान (राशि रु. लाख में)
प्रारंभिक शिलक	8850.25
आय	35295.32
कुल योग	44145.57
कुल व्यय	38916.95
अंतिम शिलक	(+) 5228.62

उपरोक्तानुसार पारित बजट के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-2017 में निम्नानुसार संशोधित आय/व्यय होने का अनुमान है :-

आय शीर्ष :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुमानित आय रु. 35295.32 लाख के विरुद्ध निम्नानुसार संशोधित आय रु. 25754.40 लाख प्राप्त होने का अनुमान है :-
(राशि रु. लाख में)

कं.	आय के प्रमुख शीर्ष	प्रावधान 2016-2017	संशोधित 2016-2017
1	नगर पालिका/नगर निगम के खाते में जमा अवशिष्ट धन(संचित निधि)	450.00	500.00
2	विधि के आदेशों के अधीन निगम द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन	2891.18	3040.94
3	संपत्ति से आय निगम द्वारा या उसकी ओर से संपत्ति के निराकरण से होने वाली आय	250.25	153.90
4	निगम की संपत्ति से प्राप्त भाड़ा एवं भूभाटक, किराया	350.00	269.04
5	कर से एकत्र धन	5096.00	4857.50
6	शुल्क की वसूली से एकत्र धन	2667.64	2129.83
7	न्यायालय द्वारा आरोपित समस्त अर्थदंड	48.10	21.01
8	अधिनियम के आदेशों के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में या अपराधों में समझौता करने से प्राप्त आय	320.00	125.10
9	अनुदान या दान या धरोहर के रूप में शासन/शासकीय निकायों /शासकीय व्यक्तियों से निगम द्वारा प्राप्त धन	20921.85	13292.77
10	ब्याज व लाभ से	325.00	350.00
11	निगम द्वारा ऋण	200.00	0.00
12	अन्य प्राप्तियां	2225.30	1514.31
	महायोग	35295.32	25754.40

व्यय शीर्ष :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुमानित व्यय रु. 38916.95 लाख के विरुद्ध निम्नानुसार संशोधित व्यय रु. 27267.97 लाख होने का अनुमान है :-

(राशि रु. लाख में)

क्रं.	व्यय के प्रमुख शीर्ष	प्रावधान 2016-2017	संशोधित 2016-2017
1	पार्षदों के निर्वाचन पर व्यय	5.00	0.00
2	शासन से प्रतिनियुक्ति पर निगम में कार्यरत अधिकारियों के वेतन, भत्ते	60.00	35.33
3	नगर पालिक निगम/सेवक के वेतन,भत्ते	6484.00	5149.25
4	निगम प्रशासन को विशेषज्ञों की सेवा/परामर्श के लिये देय शुल्क	250.00	50.00
5	निगम द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में नगर पालिक अधिकारी द्वारा किये गये भुगतान के व्यय	1.00	0.00
6	न्यायालयीन/वाद/शासन के निर्णय के कारण भुगतान पर व्यय	3.00	0.00
7	सार्वजनिक संस्था को अंशदान	10.00	0.00
8	शासन की देनदारियां	50.00	48.80
9	“क” लेखाओं का अंकेक्षण व्यय	15.00	10.00
10	“ख” शासन/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण	1.00	0.00
11	अन्य व्यय		
अ.	कार्यालयीन व्यय	391.00	274.27
अ.1	वाहन विभाग	1065.00	660.60
ब	मार्ग प्रकाश व्यवस्था	1300.00	1230.00
स	लोक स्वास्थ्य एवं सुविधाएं	1936.00	1222.00
द	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य)	2790.00	2395.92
द.1	पर्यावरण संरक्षण	410.00	190.00
द.2	नगर के उद्यानों का सौंदर्यीकरण एवं विकास (नगर सौंदर्यीकरण)	535.00	250.00
ई	लोक कर्म विभाग (भवन निर्माण)	410.00	234.00
ई.1	दुषित जल निकासी	280.00	198.00
ई.2	सड़क निर्माण तथा संधारण	385.00	367.00
फ	अन्य एवं विविध व्यय	22535.95	14952.80
	महायोग	38916.95	27267.97

बजट अनुमान 2017-2018

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 97 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए आय एवं व्यय का अनुमानित बजट निम्नानुसार है :-

शीर्ष	बजट अनुमान(2017-2018) (राशि रु. लाख में)
प्रारंभिक अवशेष	7336.68
आय	39603.69
कुल योग	46940.37
व्यय	43652.55
अंतिम शिलक	(+)3287.82

उपरोक्तानुसार अनुमानित बजट वर्ष 2017-2018 में 3287.82 लाख रुपये बचत होने का अनुमान है तथा संशोधित आय व्यय वर्ष 2016-2017 में 7336.68 लाख रुपये बचत होने का अनुमान है । नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बकायादारों के विरुद्ध सख्ती से वसूली की कार्यवाही की जावेगी । जिससे निगम की आय में वृद्धि होने का अनुमान है ।

निगम में कुल छः जोन है । जोन कार्यालयों से अनुमानित व्यय से संबंधित प्रावधान प्राप्त हुए है । सभी जोन कार्यालयों से प्राप्त अनुमानित व्यय संबंधी प्रावधान निगम की आय से बहुत अधिक है । आय से संबंधित प्रस्ताव जोन कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुआ है । निगम में कुल 70 वार्ड है, जिसमें से कुछ वार्डों की आय अत्यंत कम है । अतः वार्डवार आय एवं व्यय का प्रावधान किये जाने पर कुछ वार्डों को विकास कार्य हेतु बहुत कम राशि उपलब्ध होगी, इसे ध्यान में रखते हुए बजट को वार्डवार न रखकर संपूर्ण निकाय का मदवार एकजायी बजट प्रावधानित किया गया है । वास्तविक आय-व्यय के अनुसार अनुमानित बजट प्रावधान रखा गया है ।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित बजट शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संशोधन एवं सुझाव के साथ सामान्य सभा में अंगीकार करने हेतु प्रेषित किये जाने बाबत महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक :

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

नगर पालिक निगम,भिलाई

बजट अनुमान वर्ष 2017-2018 एवं संशोधित वर्ष 2016-2017

(राशि रु. लाख में)

क्रं.		अनुमान 2017-2018	स्वीकृत अनुमान 2016-2017	संशोधित अनुमान 2016-2017
	प्रारंभिक शिलक	(+)7336.68	(+) 8850.25	(+)8850.25
1	आय का महायोग	39603.69	35295.32	25754.40
	कुल योग	46940.37	44145.57	34604.65
2	व्यय का महायोग	43652.55	38916.95	27267.97
	अंतिम शिलक	(+) 3287.82	(+) 5228.62	(+) 7336.68

नगर पालिक निगम भिलाई

बजट अनुमान वर्ष 2017-2018 एवं संशोधित अनुमान 2016-2017

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के वार्षिक बजट में प्रारंभिक अवशेष 8850.25 लाख रु. है , जिसमें 35295.32 लाख रु. की अनुमानित आय को मिलाकर कुल आय रु. 44145.57 लाख है । जिसमें से अनुमानित व्यय 38916.95 लाख रु. का प्रावधान किये जाने के पश्चात् अंतिम शिलक (+) 5228.62 लाख रु. का अनुमान रखा गया था ।

30 नवम्बर 2016 तक वास्तविक आय -व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-2017 का संशोधित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय - व्यय का बजट अनुमान तैयार किया गया है , जो इस प्रकार है ।

आय शीर्ष

1. संचित निधि (0870) :-

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार संचित निधि कोष की स्थापना की गई है, इस मद में प्रतिदिन आय का 5 प्रतिशत राशि इस कोष में जमा की जा रही है । 30 नवम्बर 2016 तक 4162.86 लाख रु. संचित निधि कोष में जमा है, जिसमें 1000.00 लाख रु. की राशि सिटी बस योजना मद में दी गई है जोकि वापसी योग्य है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में भी शासन के निर्देशानुसार संचित निधि में प्रतिदिन आय का 5 प्रतिशत राशि जमा किया जावेगा । वित्तीय वर्ष 2017-18 में 600.00 लाख रु. संचित निधि में जमा होने का अनुमान है ।

2. विधि के आदेशों के अधीन निगम द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन (0871) :-

इस मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 2891.18 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 3040.94 लाख रु. संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 3155.18 लाख रु. अनुमानित आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद में चुंगीक्षतिर्ति, खनिज विभाग , वाणिज्य कर, मुद्रांक शुल्क, मनोरंजन कर एवं उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित है ।

2. संपत्ति से आय (0872) :-

(क) निगम द्वारा या उसकी ओर से संपत्ति के निराकरण से होने वाली आय (7211) :-

इस मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 250.25 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध 153.90 लाख रु. की संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद में 1329.25 लाख रु. आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद में आवासोय, आवास सह व्यवसायिक एवं व्यवसायिक भूमि के आबंटन, दूकानों/ मकानों के आबंटन, भाड़ा कर योजना, भूमिगत तल/प्रथम तल/द्वितीय तल को प्रब्याजी, वाम्बे आवास योजना, राजीव शहरी निर्धन आवास योजना, अटल आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से आय, महिला समृद्धि योजना, गुरु घासीदास योजना से, गोकुल नगर योजना, आई.एच.डी.पी. योजना, पं. दीनदयाल योजना से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

(ख) निगम की संपत्ति से प्राप्त भाड़ा (7212) :-

इस मद में वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 350.00 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 269.04 लाख रु. की संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 391.25 लाख रु. आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद में किराया , भूभाटक, पशुवधगृह, तालाब ठेके से, सायकल स्टैंड एवं शराब दुकान से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

3. अधिनियम के आशयों के लिए लगाये गये कर एवं शुल्क से आय (0873) :-

(क) कर से एकत्र धन (7311) :-

इस मद में वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 5096.00 लाख रु. के अनुमानित आय का अनुमान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 4857.50 लाख रु. की संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद में 6854.00 लाख रु. आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद के अंतर्गत संपत्तिकर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, प्रदर्शनकर, जलकर, निर्यातकर एवं विज्ञापन/होर्डिंग से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

(ख) शुल्क की वसूली से एकत्र धन (7312) :-

इस मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 2667.64 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 2129.83 लाख रु. की संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद में 3491.36 लाख रु. आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद में भवन अनुज्ञा शुल्क, सड़क बाधा शुल्क, विकास शुल्क, विलंब शुल्क, नामांतरण शुल्क, बार लायसेंस शुल्क, विद्युत अनापत्ति शुल्क , अनुज्ञप्ति शुल्क, मोबाईल टावर निर्माण/नवीनीकरण शुल्क, नवीन विकास अनुमति शुल्क, बाजार एवं विपणी शुल्क, कालोनी पंजीयन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क, एंबुलेंस शुल्क, रिक्षा लायसेंस, गुमास्ता लायसेंस, पर्यवेक्षण शुल्क, विकास अनुज्ञा शुल्क, आश्रय शुल्क, केबल खुदाई, सिवरेज कनेक्शन शुल्क, सफाई सेवा शुल्क (यूजर चार्ज) से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

5. न्यायालय द्वारा आरोपित समस्त अर्थ दंड (0874) :-

इस मद में वित्तीय वर्ष 2016-2017 में रु. 48.10 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 21.01 लाख रु. की संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद में 48.10 लाख रु. आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद में कांजी हाउस जुर्माना, जुर्माना एवं राजसात तथा दांडिक जुर्माना से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

6. अधिनियम के आदेशों के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में या अपराधों में समझौता करने से प्राप्त आय (0875) :-

इस मद के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 में 320.00 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 125.10 लाख रु. का संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 322.00 लाख रु. की आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद में समझौता शुल्क, टेलीफोन कंपनी एवं भूमिगत नाली से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

7. अनुदान या दान या धरोहर के रूप में शासन/शासकीय निकायों / शासकीय व्यक्तियों से निगम द्वारा प्राप्त धन (0876) :-

इस मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 20921.85 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 13292.77 लाख रु. की संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद में 21063.85 लाख रु. आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद में ग्यारहवें वित्त आयोग/बारहवां/तेरहवां/चौदहवां वित्त आयोग, पेयजल, जलगृह संधारण, सांसद/विधायक निधि, स्वर्ण जयंती प्रशिक्षण योजना, वृद्धावस्था पेंशन/सामाजिक सुरक्षा पेंशन , बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा कर्मी मानदेय/सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा कर्मी मानदेय, मातृत्व लाभ योजना, बालिका समृद्धि, राष्ट्रीय परिवार सहायता, सुखद सहारा, सरोवर-धरोहर योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, ज्ञानस्थली योजना, अधोसंरचना मद (विकास कार्य), पार्षद निधि, स्वच्छ भारत मिशन/आई. एल.सी.एस., अन्य मद (आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण), सामाजिक कल्याण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग सहायता एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा सहायता, चुंगी मद से आय (जन सुविधा हेतु), राजीव आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर सुराज अभियान, प्रमोटर्स बिल्डर्स, सिटी बस योजना, गरीबों की सहायता निधि, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, महापौर विकास निधि, मुख्यमंत्री प्रतिकाल योजना, हाट बाजार, शास. उचित मूल्य दूकान सह गोदाम निर्माण, महिला समृद्धि बाजार, स्लाटर हाउस निर्माण, श्रद्धांजलि योजना, आपदा प्रबंधन, असंगठित कर्मकार योजना, निक्षेप राशि, बायो मेट्रिक पद्धति, इंसीनेटर यूनिट, सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सुपर स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन (सिवरेज), अमृत मिशन(वाटर सप्लाई), अमृत मिशन (पार्क), मिनी माता एवं शासन से प्राप्त पुरुस्कार राशि आदि से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

8. ब्याज व लाभ से प्राप्त आय (0877) :-

इस मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 325.00 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 350.00 लाख रु. की संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद में 401.00 लाख रु. अनुमानित आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद के अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज, बैंक में जमा राशि पर ब्याज एवं संचित निधि पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

9. निगम द्वारा प्राप्त ऋण (0878) :-

इस मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 200.00 लाख रु. अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध निरंक संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 100.00 लाख रु. आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद के अंतर्गत विशिष्ट प्रयोजनार्थ शासन द्वारा प्राप्त ऋण, भिलाई जल प्रदाय योजना फस-2 के लिए प्राप्त होने वाले ऋण को सम्मिलित किया गया है ।

10. अन्य प्राप्तियाँ (0879) :-

इस मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 2225.30 लाख रु. के अनुमानित आय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 1514.31 लाख रु. की संशोधित आय प्राप्त होने का अनुमान है । वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद में 2447.70 लाख रु. आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस मद के अंतर्गत राशन कार्ड, प्रपत्रों का विक्रय, सैप्टिक टैंक सफाई, जैविक खाद, मंगल भवन, उद्यान, सामूहिक बीमा, अनुपयोगी सामग्री, सुलभ शौचालय, कमचारियों के अग्रिमों का प्रत्यार्पण/समायोजन, विविध अग्रिम , विविध आय, अमानत एवं धरोहर एवं विविध जमा, जनगणना मानदेय, भविष्य निधि, वेतन वस्ली, बाह्य विकास कार्य, आवेदन पत्र (सूचना का अधिकार 2005), प्रतिलिपि शुल्क(सूचना अधिकार 2005), एलीवेटर किराया, शासन की विभिन्न योजनाएँ जैसे - वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, शिक्षा कर्मी वेतन आदि का निगम मद से किये भुगतान का समायोजन, विवाह पंजीयन शुल्क, पानी टैंकर किराया, शवदाह हेतु लकड़ी बिक्री से, नवीन जल संयोजन से आय, नवीन जल संयोजन अमानत राशि, पेट्रोल पंप से, कालोनियों को बल्क वाटर कनेक्शन पर आर्बधन योजना शुल्क एवं ट्रेचिंग मैदान से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया गया है ।

नगर पालिक निगम भिलाई

व्यय शीर्ष

बजट अनुमान वर्ष 2017-2018 एवं संशोधित अनुमान 2016-2017

1. पार्षदों के निर्वाचन पर व्यय (2881) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 5.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध राशि निरंक व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 5.00 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

2. शासन से प्रतिनियुक्ति पर निगम में कार्यरत अधिकारियों के वेतन, भत्ते (2882) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 60.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध 35.33 लाख रु. संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रु. 60.00 लाख के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

3. नगर पालिक पदाधिकारियों/सेवक के वेतन भत्ते (2883) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 6484.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध 5149.25 लाख रु. संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 6603.00 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद के अंतर्गत नियमित/कार्यभारित/आकस्मिक मद/दैनिकवृत्ति कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, बोनस भुगतान, अवकाश अंशदान, अनुग्रह भुगतान, पेंशन अंशदान, परिवार कल्याण, उपादान, महापौर एवं पार्षदों के मानदेय, यात्रा भत्ता, सुरक्षा गार्ड पारिश्रमिक, नवीन पद सृजित कर दैनिक वृत्ति/कार्यभारित/आकस्मिक मद कर्मचारियों का नियमितीकरण हेतु (छटवें/सातवें वेतनमान का एरियर्स एवं समयमान वेतनमान तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति), दैनिक वृत्ति कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर सहायता राशि, ब्याज भुगतान तथा कर्मचारियों के बीमा आदि को सम्मिलित किया गया है ।

4. निगम प्रशासन को विशेषज्ञों की सेवा/परामर्श के लिये देय शुल्क (2884) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 250.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध रु. 50.00 लाख संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 250.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

5. निगम द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में नगर पालिक अधिकारी द्वारा किये गये भुगतान के व्यय (2885) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये इस मद में 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध व्यय निरंक होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद के लिये 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

6. न्यायालीन/वाद/शासन के निर्णय के कारण भुगतान पर व्यय (2886) :-

- (क) शासन की आज्ञा/आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अधीन दिये गये पंच निर्णय के लिये देय व्यय (8611) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध व्यय निरंक होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

- (ख) संपत्ति/न्यायालय/अपराधिक न्यायालय द्वारा आयुक्त के विरुद्ध बिक्री अथवा आज्ञा के अधीन देय (8612) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध व्यय निरंक होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

- (ग) वाद / वैधानिक कार्यवाही या दावे के समझौते के अधीन देय राशि (8613) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध व्यय निरंक होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

7. सार्वजनिक संस्थाओं को अंशदान (2887) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 10.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध व्यय निरंक होने का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 10.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

8. शासन की देनदारियां (2888) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 50.00 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध 48.80 लाख रु. संशोधित व्यय होने का अनुमान है । वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 50.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

(क) लेखाओं का अंकेक्षण व्यय (8811) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 15.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध राशि रु. 10.00 लाख व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 20.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

(ख) शासन/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण पर शासन को देय गारंटी फीस (8812) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 1.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध व्यय निरंक होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में रु. 1.00 लाख अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है ।

9. अन्य व्यय (2889) :-

(अ) कार्यालयीन व्यय :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में राशि 391.00 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 274.27 लाख रु. के संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में राशि 446.50 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद में फनीचर क्रय, मुद्रण मशीन, डुप्लीकेटर, कम्प्यूटर, केलकुलेटर, फोटो कापी मशीन, ड्राइंग सामग्री, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, बीमा, टेलीफोन व्यय, पत्र-पत्रिकाएं , पुस्तक , डाक, सत्कार, वर्दी क्रय, विज्ञापन देयक, प्रचार-प्रसार पर व्यय एवं सामान्य सभा/एम.आई.सी. पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(अ-1) वाहन विभाग :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में राशि 1065.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 660.60 लाख रु. के संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में रु. 1090.00 लाख का अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद में संयंत्र एवं मशीनरी क्रय एवं संधारण, फागिंग मशीन क्रय/संधारण, नये वाहन क्रय, वाहनों का संधारण, ईंधन, विविध व्यय, फायर बिग्रेड क्रय एवं फायर स्टेशन, तथा वाहनों के लिए बाड़ी निर्माण एवं ट्राली/टैंकर क्रय, तथा प्लेसमेंट पर कार्यरत अस्थाई वाहन चालकों पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(ब) मार्ग प्रकाश व्यवस्था :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये इस मद में राशि रु. 1300.00 लाख के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध राशि रु. 1230.00 लाख का संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में रु. 1400.00 लाख के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद के अंतर्गत विद्युत देयक, विद्युत संधारण हेतु सामग्री क्रय, नवीन विद्युत लाईन, नवीन विद्युत संयोजन, ट्यूबलर पोल एवं ऊर्जा संरक्षण पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(स) लोक स्वास्थ्य एवं सुविधाएं :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद के अंतर्गत राशि 1936.00 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध राशि 1222.00 लाख रु. के संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में राशि रु. 1936.00 लाख के अनुमानित व्यय होने का प्रावधान रखा गया है । इस मद के अंतर्गत नलकूप खनन, जलवाहिनी विस्तार, स्टैंड पोस्ट, संपवेल, पम्प हाऊस, फिल्टर हाऊस, नेहरूनगर एवं उससे जुड़े पानी टंकी तथा मोरिद जलाशय का संचालन व संधारण, फिल्टर हाऊस से संबंधित विद्युत देयकों का भुगतान, पेयजल व्यवस्था से संबंधित पंप मरम्मत एवं संधारण, पेयजल व्यवस्था हेतु सामग्री क्रय, ट्रक-टैंकरों एवं ट्रेक्टर टैंकरों से वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पेयजल परिवहन कार्य व उच्च स्तरीय टंकी निर्माण/संधारण पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(द) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद के अंतर्गत राशि 2790.00 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध राशि 2395.92 लाख रु. के संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इस मद में राशि रु. 3085.00 लाख के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन (डस्टबीन, ट्रेचिंग मैदान, कंटेनर डिब्बा) एवं संधारण, शौचालय निर्माण/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं संधारण, महामारियों के रोकथाम हेतु औषधि एवं स्वच्छता उपकरण क्रय, गाजर घास उन्मूलन, चिकित्सालय भवन निर्माण/संधारण/उपकरण क्रय , अन्य विविध व्यय, डॉंग हाऊस निर्माण एवं संचालन, स्लाटर हाऊस से निकलने वाले अपशिष्टों के डिस्पोजल हेतु रेंडरिंग प्लांट की स्थापना, सक्शन यूनिट वाहन क्रय, स्लाटर हाऊस का आधुनिकीकरण, ट्रेचिंग ग्राऊंड का विकास एवं अतिरिक्त ट्रेचिंग ग्राऊंड हेतु भूमि तथा खुले में मांस, मछली चिकन आदि बेचने वालों को जोनवार/वार्डवार दूकान बनाकर व्यवस्थित करना पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(द-1) पर्यावरण संरक्षण :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में राशि रु. 410.00 लाख के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध राशि 190.00 लाख रु. का संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में राशि 585.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद में फैंसिंग एवं सघन वृक्षारोपण, कुओं/जलाशयों का संरक्षण एवं विकास, नालों की सफाई एवं विकास तथा श्मशान घाट का विकास पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(द-2) नगर के उद्यानों का सौंदर्यीकरण एवं विकास (नगर का सौंदर्यीकरण) :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद के अंतर्गत राशि 535.00 रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध रु. 250.00 लाख संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में रु. 535.00 लाख के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद के अंतर्गत नगर के उद्यानों का सौंदर्यीकरण, संधारण एवं रख-रखाव, प्रमुख चौराहों का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण, साप्ताहिक बाजारों के विकास कार्य एवं एम्बुजमेंट पार्क पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

ई. लोक कर्म विभाग (भवन निर्माण) :-

(क) भवन निर्माण :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में राशि 410.00 रु. लाख के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध राशि 234.00 लाख रु. के संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 685.00 लाख रु. की अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद में कार्यालय भवन निर्माण, विस्तारीकरण एवं संधारण, सांस्कृतिक भवन/मंगल भवन निर्माण एवं संधारण, सांस्कृतिक चबूतरा निर्माण एवं संधारण , अधिकारी/कर्मचारी आवास गृह निर्माण एवं संधारण, शाला भवन निर्माण एवं संधारण , निगम की व्यवसायिक योजना के अंतर्गत विकास कार्य, अंडरब्रिज निर्माण, वाचनालय/पुस्तकालय की स्थापना व निर्माण/संचालन, विविध व्यय तथा सार्वजनिक प्यारु पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(ख) दूषित जल निकासी :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में 280.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध राशि 198.00 लाख रु. का संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में राशि 650.00 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद में नालियों का निर्माण/संधारण, सीवर लाईन निर्माण व संधारण तथा पुलिया निर्माण एवं संधारण पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(ग) सड़क निर्माण तथा संधारण :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में राशि 385.00 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था , जिसके विरुद्ध 367.00 लाख रु.के संशोधित व्यय होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में राशि 720.00 लाख रु. अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है । इस मद में डामरीकरण कार्य, डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग , गलियों का सीमेंटीकरण (प्री कास्ट ब्लाक पेविंग) एवं समस्त प्रकार के मार्गों के संधारण पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

(फ) अन्य एवं विविध व्यय :-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मद में राशि 22535.95 लाख रु.के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध राशि 14952.80 लाख रु. के संशोधित व्यय होने का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये इस मद में 25517.05 लाख रु. के अनुमानित व्यय का प्रावधान रखा गया है। इस मद में महापौर सहायता निधि, प्रशिक्षण, वादकारिता, योजना मद की पंजीयन राशि वापसी, कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि, राष्ट्रीय कार्यक्रम, पूर्व वर्षों के लंबित देयकों का भुगतान, देश-विदेश प्रशिक्षण यात्रा, जनगणना/निर्वाचन, निगम क्षेत्र के स्कूलों का खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध व्यय, बैंक व्यय, अग्रिम, निक्षेप व्यय, रेन वाटर हारवेस्टिंग, महिला एवं बाल विकास, प्राकृतिक आपदा, यात्री प्रतिकालय/शेड निर्माण, गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक परिसरों में पार्किंग व्यवस्था, कम्प्यूटर साफ्टवेयर डेव्हलपमेंट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरंजन एवं संरक्षण विभाग, शिक्षा-खेलकूद एवं युवा कल्याण, पदाधिकारियों या सेवक का कर्तव्य के दौरान चोट या मारे जाने की दशा में दिया जाने वाला करुणा भत्ता/अनुदान, निगम क्षेत्र में प्रवेश द्वार निर्माण, अमानत एवं धरोहर राशि, शासन की विभिन्न योजनाएं जैसे - वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, शिक्षा कर्मी वेतन आदि का निगम मद से भुगतान, निगम क्षेत्र की ट्रेफिक व्यवस्था के लिए निर्माण एवं संधारण, भू-अर्जन/मआवजा, महिला सामुदायिक भवन/प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण, हरिजन/आदिवासो बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण, गौ धन संरक्षण, कब्रिस्तान विकास , शहरी गरीबों के लिए (गरीबों की सेवा), वरिष्ठ नागरिकों के लिए सियान सदन निर्माण, आडोटोरियम (टाऊन हॉल) का निर्माण, मुक्तिधाम में शवदाह हेतु लकड़ी प्रदाय, शिक्षकों का सम्मान, नारी जागृति सम्मान, निराक्षित पेंशनधारी हितग्राहियों हेतु सहायता, निगम क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों एवं त्यौहारों में पंडाल व्यवस्था, पेट्रोल पंप स्थापना, नवीन सशुल्क कनेक्शन पर व्यय, जल आवर्धन योजना फेस-2, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, ब्याज मद से भुगतान, शिक्षा उपकर मद, महापौर/आयुक्त/अधिकारी/कर्मचारी के लिए आवास निर्माण, गेस्ट हाऊस निर्माण, निर्धन कन्या विवाह, वेस्ट वाटर- नाली ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर सिस्टम, सीवर सिस्टम, मल्टी लेवल पार्किंग, वाटर एटीएम, सफाई कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण, रूआंबाधा, छावनी एवं कोहका/कैलाश नगर हेतु नया उच्च स्तरीय जलागार निर्माण, नेवई में 2.00 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट एवं 500 कि.ली. की दो टंकियां निर्माण एवं पाईप लाईन कार्य (स्टेशन मरोदा एवं डुंडेरा/जोरातराई), मरोदा टैंक में इंटकवेल निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण, सिटी बस हेतु बस डिपो निर्माण, सड़क किनारे यूरिनल निर्माण, डॉंग केचर वाहन क्रय, प्रमुख मार्गों में मार्ग विभाजक(डिवाइडर), सुपर स्मार्ट सिटी, नवीन उद्यानों का निर्माण एवं नवीन कार्यालय भवन पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

**नगर पालिक निगम,भिलाई
(छत्तीसगढ़)**

बजट अनुमान वर्ष 2017-2018 एवं संशोधित अनुमान 2016-2017
आय (रु. लाख में)

कं.	आय के प्रमुख शीर्ष	बजट प्रावधान 2017-2018	प्रावधान 2016-2017	संशोधित 2016-2017
1	नगर पालिका/नगर निगम के खाते में जमा अवशिष्ट धन(संचित निधि)	600.00	450	500.00
2	विधि के आदेशों के अधीन निगम द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन	3155.18	2891.18	3040.94
3	संपत्ति से आय निगम द्वारा या उसकी ओर से संपत्ति के निराकरण से होने वाली आय	1329.25	250.25	153.90
4	निगम की संपत्ति से प्राप्त भाड़ा एवं भूभाटक, किराया	391.25	350.00	269.04
5	कर से एकत्र धन	6854.00	5096.00	4857.50
6	शुल्क की वसूली से एकत्र धन	3491.36	2667.64	2129.83
7	न्यायालय द्वारा आरोपित समस्त अर्थदंड	48.10	48.10	21.01
8	अधिनियम के आदेशों के अधीन क्षतिपूर्ति क रुप में या अपराधों में समझौता करने से प्राप्त आय	322.00	320.00	125.10
9	अनुदान या दान या धरोहर के रुप में शासन/शासकीय निकायों/शासकीय व्यक्तियों से निगम द्वारा प्राप्त धन	21063.85	20921.85	13292.77
10	ब्याज व लाभ से	401.00	325.00	350.00
11	निगम द्वारा ऋण	100.00	200.00	0.00
12	अन्य प्राप्तियां	2447.70	2225.30	1514.31
	महायोग	39603.69	35295.32	25754.40

**नगर पालिक निगम,भिलाई
(छत्तीसगढ़)**

बजट अनुमान वर्ष 2017-2018 एवं संशोधित अनुमान 2016-2017

व्यय (रु. लाख में)

क्रं.	व्यय के प्रमुख शीर्ष	बजट प्रावधान 2017-2018	प्रावधान 2016-2017	संशोधित 2016-2017
1	पार्षदों के निर्वाचन पर व्यय	5.00	5.00	0.00
2	शासन से प्रतिनियुक्ति पर निगम में कार्यरत अधिकारियों के वेतन, भत्ते	60.00	60.00	35.33
3	नगर पालिक निगम/सेवक के वेतन,भत्ते	6603.00	6484.00	5149.25
4	निगम प्रशासन को विशेषज्ञों की सेवा/परामर्श के लिये देय शुल्क	250.00	250.00	50.00
5	निगम द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में नगर पालिक अधिकारी द्वारा किये गये भुगतान के व्यय	1.00	1.00	0.00
6	न्यायालयीन/वाद/शासन के निर्णय के कारण भुगतान पर व्यय	3.00	3.00	0.00
7	सार्वजनिक संस्था को अंशदान	10.00	10.00	0.00
8	शासन की देनदारियां	50.00	50.00	48.80
9	“क”लेखाओं का अंकेक्षण व्यय	20.00	15.00	10.00
10	“ख” शासन/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण पर शासन को दय गारंटी फीस	1.00	1.00	0.00
11	अन्य व्यय			
	अ. कार्यालयीन व्यय	446.50	391.00	274.27
	अ.1 वाहन विभाग	1090.00	1065.00	660.60
	ब मार्ग प्रकाश व्यवस्था	1400.00	1300.00	1230.00
	स लोक स्वास्थ्य सुविधाएं	1936.00	1936.00	1222.00
	द ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य)	3085.00	2790.00	2395.92
	द.1 पर्यावरण संरक्षण	585.00	410.00	190.00
	द.2 नगर के उद्यानों का सौंदर्यीकरण एवं विकास (नगर सौंदर्यीकरण)	535.00	535.00	250.00
	ई लोक कर्म विभाग (भवन निर्माण)	685.00	410.00	234.00
	ई.1 दुषित जल निकासी	650.00	280.00	198.00
	ई.2 सड़क निर्माण तथा संधारण	720.00	385.00	367.00
	फ अन्य एवं विविध व्यय	25517.05	22535.95	14952.80
	महायोग	43652.55	38916.95	27267.97